भारत का संविधान

- संविधान वह सर्वोच्च विधि होती है, जो किसी देश में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों एवं संस्थाओं की स्थापना करती है। संविधान का उददेश्य एक विशिष्ट राजनैतिक संस्कृति का विकास करना होता है। इस उददेश्य की प्राप्ति के लिए संविधान द्वारा विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है।
- भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक मूल्यों एवं संस्थाओं को स्थापित करने के लिए एक लिखित संविधान अपनाया । भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली । संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों (Recommendations) के आधार पर किया गढ़ा

संविधान का निर्माण

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 क्यू माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें आरम्भ में 395 अनुच्छेद, 22 पाने और 23 मुसूचियाँ (वर्तमान में 12) थीं।
- संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रान्त से चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया । संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 339 निर्धारित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों से, 93 देशीरियासतों से एवं 4 किमश्रर क्षेत्रों के प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर-मारवाड़ कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे।
- प्रत्येक प्रान्त की सीटों को जनसंख्या के अर्पात के आधार पर तीन प्रमुख समुदायों-मुस्लिम, सिख और सामान्य में बाँटा गया।
- संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन १ दिस्मे १ 1946 को सम्पन्न हुआ था । मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बठवे का बुरिष्कार किया था । डॉ. सच्चिदानन्दिसन्हा ने सविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की भी, जोकि अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्तिकए गए थे।
- 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

देश का प्रथम अन्तरिम मन्त्रिमण्डल

जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष , विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह , सूचना एवं प्रसारण
बलदेव सिर्	रक्षा
सी . राजगोपालाचारी	शिक्षा
डॉ . राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
जगजीवन राम	श्रम

For More Pdfs Join Telegram https://t.me/studymaster

FOR MORE FREE PDFS https://www.studymasterofficial.com

आई आई चुन्दरीगर	वाणिज्य
जोगेन्द्र नाथ मण्डल	विधि
जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
सी एच भाभा	खान एवं बन्दरगाह
आसफ अली	रेलवे
लियाकत अली खाँ	वित्त
अब्दुल रब निश्तार	संचार
गजनफर अली खाँ	स्वास्थ

- पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ' उद्देशर प्रस्ताव ' Dijective Resolution) 13 दिसम्बर , 1946 को प्रस्तुत किया , जो भारतीय संविधान का सम्बर बना।
- उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत (parky) कर के लिए विभिन्न विषयों से सम्बन्धित समितियों का गठन किया गया , जिनमें संपूर्व प्राप्त डॉ . भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी सातं सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी ।
- प्रारूप समिति में डॉ . अम्बेडकर के अतिरिक्त एन गोपालांस्वामी आयंगर , अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर , के एम मुंशी , मोहम्मद सादुल्लाह , डी. पी. खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी टी कृष्णामाचारी नियुक्त) और एन माध्वराव (ही. एल मित्र के स्थान पर नियुक्त) अन्य सदस्य थे ।
- 26 नवम्बर , 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था , जिस पर 254 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए । 26 जनवरी , 1950 को भारतीय संविधान लॉगू किया गया , क्योंकि सन् 1930 से ही 26 जनवरी का दिन सम्पूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था , इसलिए 26 जनवरी , 1950 को प्रथम गण्तन्त्र दिवस मनाया गया
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर क्रे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है ।
- संविधान सभा की अन्तिमे बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद क्यारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

संविधान समिति

समितियाँ	अध्यक्ष
प्रारूप	डॉ. बी आर अम्बेडकर
कार्य संचार्लन	के एम मुंशी
संघ संविधान , संघ शक्ति	पं. जवाहरलाल नेहरू
मूल अधिकार , अल्प संख्यक , प्रान्तीय संविधान	सरदार वल्लभभाई पटेल

For More Pdfs Join Telegram https://t.me/studymaster